



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 793 / 12-1

चकराता, दिनांक 14 अगस्त 2023

सेवा में,

✓ वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय :-

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online no.FP/UK/Road/48173/2020)

संदर्भ:-

आपका ई०डी०एस० दिनांक 06.07.2023


महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग पर लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-735/15सी IV दि० 04.08.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है -

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- Provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	1-प्रयोक्ता एजेन्सी का उक्त पत्र संलग्न है। 2-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०-एम.एल.ए.-109/लो०नि०-1/2001-611(पी०डब्ल्यू०डी०)/2001 दिनांक 29.10.2001 के अनुसार भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये, उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मी० रखी जाये तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मी०) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड शासन का पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार


भवदीया


(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या- 793 (1)/12-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता को उनके पत्रांक-735/15सी IV दि० 04.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता

(The Executive Engineer, Temporary Div., PWD, Chakrata Uttarakhand)

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

E-mail: cepwdchakrata10@rediffmail.com

पत्रांक : 735/15 सी0 4
सेवा में,

दिनांक: 08/08/2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावा तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वन भूमि का वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/4817/2020) (लम्बाई 5.00 कि0मी0)

सन्दर्भ:- Online Query on dated 12 Jul 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि प्रकरण पर दिनांक 12 जुलाई 2023 को जो आपत्ति लगाई गई है उसका निराकरण निम्नवत् कर प्रस्ताव मय साक्ष्यों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

क.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	महोदय अवगत कराना है कि, पूर्व में आपके द्वारा मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मीटर प्रस्तावित किये जाने हेतु कहा गया था, जिसके अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या एम. एल.ए.-109/लो0नि0-1/2001-611(पी.डब्ल्यू.डी.)/2001 दिनांक 29 अक्टूबर 2001 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें पृष्ठ संख्या द्वितीय की प्रथम लाइन पर साफ-साफ निर्देशित किया गया है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्ताव मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मीटर रखी जाये। तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मीटर) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासन का पत्र संलग्न कर पुनः वन भूमि प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(ई0 एल.के. गोयल)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।

दिनांक / 08/2023

पत्रांक..... /

प्रतिलिपि:- ई0 एस.एस. नेगी, सहायक अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, चकराता को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।

चकराता वन प्रभाग
पजी0 संख्या...1183
पत्रावली संख्या...1
पत्रांक संख्या...1
दिनांक 8/08/2023

प्रेषक,

चन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून, उत्तरांचल ।

विभाग अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 27 अक्टूबर/2001.

विषय:- लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल द्वारा भाविष्य में हल्का वाहन मार्ग न बनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तरांचल में विगत कई वर्षों से हल्के वाहन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है । इन हल्का वाहन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 4.25 मीटर निर्धारित है तथा इनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए ही संभव है । हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने में विविधाधित्यो में अंतर होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जहाँ तक वित्तीय उपलब्धता का प्रश्न है, हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर होने वाला व्यय मोटर मार्ग के निर्माण करने से अधिक होता है । इस प्रकार हल्का वाहन मार्ग निर्माण से प्रकृत सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ता है, क्योंकि कभी न कभी हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करना पड़ता है ।

2- इण्डियन रोड कोड की पर्वतीय मार्गों के निर्माण की संस्तुतियों के लिए निर्गत आईआरसी कोड में हल्के वाहन मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ग्रामीण मार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 5.20 मीटर प्रस्तावित है ।

3- हल्का वाहन मार्गों पर कर्जा ऋतु में स्लिप अथवा बोल्टर आ जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त/अकर्मक हो जाते हैं और मार्ग यातायात हेतु बन्द हो जाता है । इन मार्गों के अनुरक्षण पर कम ध्यान दिये जाने के कारण मार्ग लम्बे समय तक बन्द रहते हैं और हल्के वाहन मार्गों के निर्माण का सिद्धान्त

अव्याप्त प्रायः ही जाता है। मोटर मार्ग के निर्माण की चौड़ाई 5.95मीटर निर्धारित है। अतः हल्के वाहन मार्ग तथा मोटर मार्ग निर्माण में 1.70 मीटर अतिरिक्त पंखाड़ छटान, इसी अनुपात में प्रत्येक स्क्पर की चौड़ाई अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट कार्य जैसे रिटेनिंग वाल/ब्रेस्टवाल, नाली, पेरामिट्रस, जिंती, एकटोमीटर स्टॉन योनों में समान रूप से लगाये जाने के अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय माूमि अध्याप्ति पर भी करना पड़ता है।

4- अतः उक्त समस्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की व्यवहारिक उपयोगिता नहीं ही पाती है। साथ ही शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी आता है। अतः शासक्य में

हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने का शासन द्वारा/नियम

है, उनपर कार्य प्रारंभ न किये जाएं बल्कि उन्हें मोटर मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आगंतक प्रस्तुत किये जाएं। जो हल्का वाहन मार्ग निर्माणाधीन है, ऐसे मार्गों को स्वीकृति सीमा तक ही पूर्ण कर लिया जाए तथा शासक्य में प्रयोग के अलावा हल्का वाहन मार्गों को बरखाबद रूप में जिला योजना, राज्य योजना अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए।

सावधानीय,

द. मन्जु सिंह
अपर सचिव.


संख्या/MLA-109 118/लो.नि.वि.0-1/2001 तद्विनांक

निम्नलिखित निम्नलिखित की सुझावों एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मा.ट. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
- 2- सिजी सचिव, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
- 3- सचिव/उप सचिव/अनु सचिव लो.नि.वि. निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।
- 5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पीडी/आयुक्त कुमाऊं मण्डल, मैनीताल।
- 6- मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. पीडी/अ.प्रो.डा।
- 7- समस्त अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.0, उत्तरांचल द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।
- 8- समस्त अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.0, उत्तरांचल, द्वारा, मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।

- 9- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-1 एवं 2
11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,



॥ जी. पी. सिंघी ॥
अनु. सचिव.